

-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 29.06.2024

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

बांदा

❖ अवैध सूखे गांजे की बिक्री करने वाले अभियुक्त को 1100 ग्राम अवैध सूखे गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 29.06.2024 को थाना मटौन्ध पुलिस गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर खैरार रेलवे स्टेशन मार्ग से अवैध सूखे गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना मटौन्ध पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

बरामदगी-

➤ 1100 ग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंगद आरख पुत्र मंगल निवासी करछा थाना मटौन्ध जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग -

● मु0अ0सं0 94/24 धारा एनडीपीएस एक्ट थाना मटौन्ध जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री संतोष कुमार सरोज
2. कां0 सुशील वर्मा